रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 298] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 1972/अग्रहायण 24, 1894

No. 298] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 1972/AGRAHAYANA 24, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December 1972

G.S.R. 489(E).—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36 of 1972), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under section 29 of the said Act may also be exercised by (a) the Managing Director, Bharat Coking Coal Limited in respect of the mines specified at serial numbers 9 to 214 of the First Schedule to the said Act and in respect of all the coke oven plants specified in the Second Schedule to the Act, (b) the Chairman-*cum*-Managing Director, National Coal Development Corporation Limited in respect of the mines specified at serial numbers 1 to 8 of the First Schedule to the said Act.

[No. F.20(41)/72-CI.]

S. K. GUHA, Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1972

सा० का० नि० 489 (अ).—कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि, (क) उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्रम संख्यांक 9 से 214 तक विनिर्दिष्ट खानों के बारे में और अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट समस्त कोक भट्टी संयंत्रों के बारे में प्रबन्ध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, (ख) उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्रम संख्यांक 1 से 8 तक विनिर्दिष्ट खानों के सम्बन्ध में अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, उस सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन प्रयोक्तव्य समस्त शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेंगे ।

[संख्या फा० 20(41)/72—को० 1]

एस० के० गुहा, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATION, DELHI, 1972